ग्राम पंचायत सदवां, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के

लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, सदवां विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 1-4-2013 से 31-3-2016 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री प्रताप शुक्ला	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति शालिनी	23-01-16 से अद्यतन

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री बलवंत सिंह	17-07-12 से 02-09-13
2.	श्री प्रशोतम सिंह	03-09-13 से अद्यतन

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत सदवां के लेखाओं अवधि 1-4-2013 से 31-3-2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹लाखों में}
1.	6	पंचायत राजस्व की वसूली का शेष पाया जाना।	1.65
2.	7	स्व-स्त्रोत निधि के ऋणात्मक शेष बारे।	0.30
3.	8	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करने बारे	2.42
4.	8.1	अनुदान राशियों का अवरोधन।	12.92
5.	9	प्रधान को जारी अग्रिम राशि में पाई अनियमितता बारे	1.55
6.	10	मस्ट्रोल में मजदूरो द्वारा एक ही अवधि में हाजिरी बारे।	0.07
7.	11	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे।	4.23

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सदवां , विकास खण्ड व तहसील नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है,श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 04-02-2017 से 14-02-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय में किया गया। आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 02 /14, 02/15 व 08/15 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 07/13, 03/15 व 08/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सदवां विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1-4-2013 से 31-3-2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:41 , दिनांक 14-02-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सदवां से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत सदवां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-4-13 से 31-3-16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व: स्त्रोत :- ग्राम पंचायत सदवां के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	495106	94146	589252	51817	537435
2014-15	537435	89118	626553	448274	178279
2015-16	178279	68113	246392	276446	(-)30045

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत सदवां के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	534979	1740651	2275630	1611320	664310
2014-15	664310	1216102	1880412	1311635	568777
2015-16	568777	1977969	2546746	1254426	1292320

दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत व अनुदानों का अन्तशेष (1+2)= ₹1262266

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB sadwan	20069038833	34590
2.	----do------	20069038844	14018
3.	----do------	50059564740	22979
4.	----do------	50052376913	6602
5.	----do------	50054974456	885509
6.	----do------	50052552028	1789
7.	----do------	50052309786	124767
8.	----do------	50052218040	2177
9.	----do------	50059633524	17679
10.	----do------	20069012677	151080
11.	----do------	20069039462	530
12.	----do------	50056869712	28
		cash in hand	**488**
		cash in hand	**30**
		TOTAL	**1262266**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1262266

(ख) दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (1+2) ₹1262266

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह,नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियों हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ बही व बारह पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 नियमों के विरुद्ध बारह बैंक बचत खातों का खोला जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्धारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार बारह बैंक बचत खाते खोले गए है। अत:नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए अतिरिक्त दस खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

5.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करके एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके तैयार न किये जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय व व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹1.65 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3- 2016 तक पंचायत राजस्व ₹1.65 लाख की वसूली शेष थी।

गृ हकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	--	45650	45650	--	45650
2014-15	45650	60650	106300	--	106300
2015-16	106300	72250	178550	13350	165200

7 स्व-स्त्रोत निधि में ₹0.30 लाख ऋणात्मक शेष बारे :-

सचिव, ग्राम पंचायत सदवां द्वारा उपलब्ध करवाए गए आय-व्यय के आंकड़ो तथा पैरा 4(1) स्व : स्त्रोत की वित्तीय स्थिति के अनुसार मे दिनांक 31-3-2016 को ₹30045 का ऋणात्मक शेष है स्व : स्त्रोत निधि में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अनुदान से व्यय की गई व स्व : स्त्रोत निधि शीर्ष में कुल प्राप्ति से ₹0.30 लाख अधिक व्यय किए गए। जोकि अनियमित है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से उक्त राशि को वसूल कर स्व : स्त्रोत निधि शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹2.42 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान 3rd state ₹48768, vkvny ₹30049, SDP ₹130443, MPLAD **₹32395**, P.SMITTI **₹749** के शीर्ष के अन्तर्गत **₹242404**, इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से **₹2.42लाख** अधिक खर्च किए गए जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

8.1 अनुदान ₹12.92 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹1292320 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्धारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी

योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :38 दिनांक 14-02-17 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत सदवांको अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 प्रधान ग्राम पंचायत को जारी अग्रिम₹1.55 लाख में पाई गई विभिन्न अनियमितता बारे :-

वाउचर संख्या-शून्य माह 2/13 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री प्रताप शुक्ला, प्रधान को ₹155000 अग्रिम के रूप में प्रदान की गई जिसमे निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई :-

(क) उक्त अग्रिम राशि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जारी की गई थी। जब उक्त राशि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जारी की गई थी तो उक्त राशि को एक मुश्त प्रधान को अग्रिम के रूप में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) उक्त राशि को माह 2/13 में अग्रिम के रूप में जारी किया गया था जबकि इसका समायोजन माह 3/14 में प्रधान द्वारा किया गया था एक वर्ष से अधिक उक्त राशि को व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) उक्त राशि में से ₹65000 प्रधान द्वारा दिनांक 1-03-14 को वापिस पंचायत निधि में जमा करवा दी गई। अतः अनावश्यक रूप से अधिक आहरण करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व एक वर्ष के ब्याज की हानि को वसूल किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(घ) अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि शेष ₹90000 में से केवल ₹79263 ही विभिन्न निर्माण कार्यों की निर्माण सामग्री हेतु व्यय किए गए व बकाया ₹10787 को प्रधान द्वारा वापिस पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया। जो की एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त राशि को संबन्धित से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

10 मजदूरो द्वारा एक ही अवधि को दो अलग-अलग निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों पर हाजिरी लगाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान बारे :-

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि की रोकड़ बही के निम्नलिखित निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि मस्ट्रोलों में मजदूरो द्वारा एक ही अवधि अलग-अलग निर्माण कार्यो में हाजिरी लगाई गई है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

(क)

वा.सं	निर्माण कार्य का नाम	अवधि	दिन	दिहाड़ी	कुल भुगतान
77	नि० नाली व अतिरिक्त कार्य वार्ड न० -3 मस्ट्रोल न० 5827	16-02-14 से 21-02-14	40	170	6800
79	नालि अतिरिक्त कार्य ओम प्रकाश वार्ड न० -3 मस्ट्रोल न०5829	16-2-14 से 21-02-14	40	170	6800

(ख)

वा.सं	निर्माण कार्य का नाम	अवधि	दिन	दिहाड़ी	कुल भुगतान
22 08/15	नि०डन्गा मुंशी राम के घर के साथ वार्ड न० -7 मस्ट्रोल न० 1014	02-04-15 से 06-04-15 रेखा देवी पत्नी रमेश कुमार	4	170	680
28	नालि अतिरिक्त कार्य ओम प्रकाश वार्ड न० -3 मस्ट्रोल न०5829	02-04-15 से 06-04-15 रेखा देवी पत्नी रमेश कुमार	4	170	680

क+ख= ₹7480

उपरोक्त विवरण के आधार पर जाँच में पाया गया कि उक्त मजदूर को 44 दिन का दो बार भुगतान करके कुल ₹7480 का अधिक भुगतान किया गया है। अत: दोषी से ₹7480 को वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

11 रोकड़ बही को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार सचिव द्वारा तैयार रोकड़ बहियों को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित किया जायेगा परन्तु निम्नलिखित अवधि की रोकड़ बहियों को प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित नहीं किया गया था जिसके अभाव में इस अवधि में आय व व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए इन रोकड़ बहियों को सम्बन्धित प्रधान द्वारा सत्यापित/अधिप्रमाणित करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं	रोकड़ बही का नाम	अवधि
1.	सामान्य रोकड़ बही	9/15 से 3/16
2.	मनरेगा	2015 -16

12 क्रय की गई ₹4.23 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** पर ₹423206 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :39 दिनांक 14-02-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सदवां को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए समस्त प्राप्ति व उपयोग लेखा तैयार कर आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

13 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या:- 40 दिनांक 14-02-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सदवां को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4.	डाक टिकट रजिस्टर
5.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
6.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7.	रसीद बुक रजिस्टर
8.	खाताबही
9.	मस्ट्रोल रजिस्टर

14 बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे :-

वाटर शेड निधि की रोकड़ बही की जाँच के दौरान वाउचर सं -12 माह 08/15 में ₹14800 के व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में आवश्य क जाँच में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में उक्त बिल/वोउचर को प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15 निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को उपलब्ध न करवाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में चयनित माह के निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएँ अंकेक्षण में आवयश्क जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। प्राकलन व माप पुस्तिका के अभाव में कार्य की मात्रा, भुगतान की दर व भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40 दिनांक 14-2-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सदवां को अवगत करवाया परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि अनुचित है। सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

18 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

19 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकनसंख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2)99/2017–खण्ड–1–4214–4217दिनाँक 10–07–17 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत सदवां, विकास खण्ड नूरपूर, तहसील नूरपुर, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881